बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

प्रेस विज्ञप्ति

परीक्षाफल घोषित होने पर लिखित उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यॉकन से असंतुष्ट परीक्षार्थियों एवं जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत उत्तर–पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु बार–बार विश्वविद्यालय आना–जाना पड़ता है, जिसके कारण उनके समय एवं धन का अपव्यय होता है।

उक्त समस्या के समाधान हेतु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिसम्बर 2018 की समस्त सेमेस्टर परीक्षाऐं, वर्तमान वार्षिक एवं आगामी सभी परीक्षाओं की लिखित उत्तर–पुस्तिकाओं को **ऑन–लाईन अवलोकित** करने एवं निशुल्क स्कूटनी तथा चुनौती मूल्यॉकन से सम्बन्धित व्यवस्था एवं प्रक्रिया लागू की गयी है। नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की बेवसाईट www.bujhansi.ac.in पर उपलब्ध हैं।

(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

पत्रांक : बु0वि0/परीक्षा/2019/1715 दिनांक : 08/04/2019

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक, झांसी/कानपुर संस्करण, दैनिक जागरण/अमर उजाला/दैनिक भास्कर/दैनिक आज/ दैनिक स्वदेश/ हिन्दुस्तान/ डी0एल0ए0/जन जन जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में उक्त सूचना जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी।
3. डॉ0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति महाविद्यालयों की लॉगइन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. सहा0कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय)
5. कुलपति जी के निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. कुलसचिव के आशुलिपिक।
7. परीक्षा नियंत्रक के आशुलिपिक।

कुलसचिव

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक - बु०वि०/परीक्षा/2019/1715 दिनांक - 08/04/2019

प्रेस विज्ञप्ति

दिसम्बर 2018 से आगामी समस्त परीक्षाओं की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को ऑन-लाइन अवलोकित करने एवं निशुल्क स्क्रूटनी तथा चुनौती मूल्यांकन से सम्बन्धित व्यवस्था एवं प्रक्रिया।

संज्ञान में आया हैं कि परीक्षार्थियों द्वारा अपनी परीक्षा से सम्बन्धित लिखित उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में आपत्तियां की जाती है। जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत परीक्षार्थियों को उनकी उत्तरपुस्तिकायें अवलोकित करायी जा रही थी परन्तु इस कार्य में उन्हें विश्वविद्यालय बार-बार आना जाना पड़ता हैं, जिसके कारण उनके समय एवं धन का अपव्यय होता हैं। उक्त समस्या के समाधान के दृष्टिगत एतद्द्वारा सूचित किया जाता हैं कि दिसम्बर 2018 से आगामी समस्त परीक्षाओं की सम्बन्धित लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को आवश्यकतानुसार ऑन-लाइन अवलोकित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन की ऑन-लाइन व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। उत्तरपुस्तिका के ऑनलाइन अवलोकन के साथ ही निशुल्क उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में त्रुटि जैसे परिनिरीक्षण (Scrutiny), चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation), अमूल्यांकित प्रश्न (Question Unchecked) अथवा अन्य मूल्यांकन त्रुटि हेतु भी आवेदन ऑनलाइन ही प्राप्त किये जायेगें। इस व्यवस्था में किसी भी परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका अवलोकन अथवा मूल्यांकन में किसी त्रुटि के आवेदन हेतु अनावश्यक विश्वविद्यालय में उपस्थित नही होना पड़ेगा। व्यवस्था से सम्बंधित प्रक्रिया, नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैं-

नियम एवं शर्तेः

- ऑन लाइन आवेदन, सत्र 2018-19 की वार्षिक एवं उसके पश्चात होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए ही स्वीकार किये जायेंगे।
- परीक्षार्थी के परीक्षाफल घोषित होने की तिथि के उपरान्त एक माह तक ऑन लाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। निर्धारित अवधि के उपरान्त आवेदन किया जाना सम्भव नहीं होगा। दिसम्बर 2018 व जनवरी 2019 की सेमेस्टर परीक्षाओं के ऐसे परीक्षार्थी जिनके परीक्षाफल घोषित हो चुके हैं, उन्हे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 30 अप्रैल, 2019 तक रहेगी।
- आवेदक को विश्वविद्यालय नियमानुसार उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क रू0 500/- (प्रोसेसिंग शुल्क रू.50/- सहित) प्रति उत्तर पुस्तिका देय होगा। ऑन लाइन जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- आवेदक को अपनी ई-मेल आई.डी. प्रमुख रूप से उपलब्ध करानी होगी जिसके माध्यम से अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी। आवेदक अपनी ई-मेल आई.डी. का

निरन्तर अवलोकन करना सुनिश्चित कर लें, क्योकि विश्वविद्यालय द्वारा ई–मेल के माध्यम से ही आवेदक से सम्पर्क किया जायेगा।

- विश्वविद्यालय नियमानुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्राविधान नहीं है केवल परिनिरीक्षण (Scrutiny), ग्रीवान्स (Grievance), चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) एवं उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन की व्यवस्था प्राविधानित है।
- एक से अधिक प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु प्रश्नपत्रवार अलग–अलग आवेदन करना आवश्यक होगा।

प्रक्रिया

प्रथम चरण (मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की प्रति ऑन लाइन प्राप्त करने हेतु)

- छात्र/छात्रायें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bujhansi.ac.in के होम पेज पर Examination Services के मेन्यु में View Answer Booklet / Apply for Grievance के लिंक के द्वारा View Answer Booklet Online and Apply for Grievance after Viewing के पृष्ठ पर दिये गये नियम एवं शर्ते पढ़ने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- उपरोक्त निर्देशों को पढ़ने के उपरान्त, उसी पृष्ठ पर दिये Apply for Online Viewing Answer Booklet के Link के माध्यम से इच्छित प्रश्न पत्र का चयन कर निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने हेतु उपलब्ध Payment Gateway के विकल्पो का चयन करते हुये ऑन लाइन Submission की कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थियों को स्क्रीन पर दिये गये निर्देशों से सहमत होते हुए Apply Now पर Click करना होगा। उक्त के उपरान्त अगली स्क्रीन में अभ्यर्थियों को I have read the important instructions का चयन करते हुये Continue पर Click करना होगा।
- अगली स्क्रीन में अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थान पर अपने पाठ्यक्रम का प्रकार, परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष, परीक्षा की श्रेणी, कक्षा एवं अनुक्रमांक को भरने के उपरान्त Search पर Click करना होगा, उक्त के उपरान्त उनकी मुख्य परीक्षा का Personal Details का विवरण स्क्रीन पर स्वतः दर्शित होगा।
- अभ्यर्थी को ऑन लाइन आवेदन करते समय सावधानीपूर्वक सभी वांछित सूचनाओं की पूर्ति कर अपनी ई–मेल आई.डी. (E Mail ID) तथा मोबाइल नम्बर निर्दिष्ट स्थान पर अंकित करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गयी ई–मेल आई.डी. पर सत्यापन हेतु एक लिंक प्राप्त होगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही एक नया पेज प्रदर्शित होगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दी गयी ई–मेल आई.डी. का सत्यापन किया जायेगा। ई–मेल आई.डी. के सत्यापन के उपरान्त अभ्यर्थी को उनकी मुख्य परीक्षा का पूर्ण विवरण स्क्रीन पर स्वतः दर्शित होगा जहाँ अभ्यर्थी द्वारा किसी एक प्रश्न पत्र का चयन करना होगा। प्रश्नपत्र के चयन के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क Payment Gateway के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा सफलतापूर्वक ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पश्चात वेबसाइट पर प्राप्ति रसीद डाउनलोड करने का विकल्प दिया जायेगा। उक्त प्राप्ति रसीद में अभ्यर्थी की समस्त आवश्यक सूचनायें शुल्क के विवरण सहित दर्ज होगी। अतः अभ्यर्थियों को उक्त प्राप्ति रसीद को भविष्य में संदर्भ हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

- अभ्यर्थी द्वारा दी गयी ई–मेल आई.डी. पर 15 दिवसो के अन्दर चयनित प्रश्न पत्र की स्कैन्ड प्रति (Scanned Copy) विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कर दी जायेगी।

द्वितीय चरण (मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की त्रुटि निवारण/ चुनौती मूल्यांकन करने हेतु)

- उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का मूल्यांकन न होने, अंको के योग में त्रुटि होने, उत्तर पुस्तिका में प्राप्त अंक तथा विधार्थी के परीक्षाफल के अंकों में अंतर होने अथवा मूल्यांकन से असंतुष्ट होने की दशा में, उत्तर पुस्तिका की Scanned Copy प्राप्त होने की तिथि से 07 दिवसो के अन्दर अभ्यर्थी को सम्बन्धित लिंक के माध्यम से त्रुटि निवारण हेतु ऑनलाइन ही सूचित करना होगा। परिनिरीक्षण (Scrutiny), ग्रीवान्स (Grievance) तथा चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) हेतु पूर्व में संचालित प्रक्रिया समाप्त की जाती है तथा उक्त किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा चुनौती मूल्यांकन हेतु अभ्यर्थी को उक्त लिंक के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑफलाईन आवेदन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।
- मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका में किसी भी त्रुटि हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को "Apply for Grievances in Viewed Answer Booklet" लिंक पर Click करना होगा, उक्त के बाद पुनः परीक्षा की श्रेणी, कक्षा एवं अनुक्रमांक को भरने के उपरान्त Search पर Click करना होगा जिससे अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ई–मेल के माध्यम से प्राप्त एवं अवलोकित की जा चुकी उत्तरपुस्तिकाओं का प्रश्न पत्र वार विवरण स्क्रीन पर स्वतः दर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा Unique ID., Transaction ID एवं प्रश्न पत्र का सही प्रकार मिलान कर इच्छित प्रश्न पत्र का चयन किया जायेगा। प्रश्न पत्र के चयन के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में विद्यमान त्रुटि का दिये गये विकल्पों मे से चयन किया जायेगा। परिनिरीक्षण (Scrutiny) तथा ग्रीवान्स (Grievance) से सम्बधिंत त्रुटियों के निवारण हेतु कोई शुल्क देय नही होगा।
- अपनी उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन (Evaluation) से असन्तुष्ट अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को चुनौती दे सकते है जिसे पूर्व की भांति चुनौती मूल्यांकन या Challenge Evaluation कहा जायेगा जिसके नियम एवं शर्तें आगामी पृष्ठ पर दिये गये है।
- मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका में किसी त्रुटि हेतु आवेदन करने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी के प्राप्तांको में कोई संशोधन होता है तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन ही उक्त संशोधन से अवगत कराया जायेगा।

उक्त प्रक्रिया अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु निर्धारित की जा रही है, उक्त प्रक्रिया से अभ्यर्थी को उत्तरपुस्तिका के अवलोकन अथवा मूल्यांकन मे त्रुटि हेतु अनावश्यक ही विश्वविद्यालय नही आना पड़ेगा तथा अपने निवास से ही पारदर्शी तरीके से उत्तरपुस्तिका का अवलोकन तथा मूल्यांकन में त्रुटि का संशोधन करा सकेगा।

5-4-19
Registrar
Bundelkhand University
JHANSI

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के नियम एवं शर्ते

1 विश्वविद्यालय की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं में पूर्व से लागू चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) की वर्तमान प्रक्रिया एवं नियमों के स्थान पर निम्न प्रक्रिया प्रस्तावित की जाती है।

2 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर ई-मेल के माध्यम से मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त की जायेगी। ई-मेल पर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के 07 दिवसों के अन्दर ही चुनौती मूल्यांकन हेतु आवेदन किया जायेगा। आवेदन मात्र ऑनलाईन ही प्राप्त किया जायेगा।

3 असन्तुष्ट अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को चुनौती देने हेतु "Apply for Grievances in Viewed Answer Booklet" लिंक पर Click कर, वांछित सूचनाओं की पूर्ति के उपरान्त सर्च पर Click कर दिये गये विकल्पों मे से चुनौती मूल्यांकन का चयन किया जायेगा। चुनौती मूल्यांकन हेतु रू0 3000/- प्रति उत्तरपुस्तिका शुल्क देय होगा जो ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

4 चुनौती की गयी सम्बन्धित उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन मूल मूल्यांकनकर्ता से इतर माननीय कुलपति जी द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञों द्वारा अलग-अलग कराया जाएगा तथा दोनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिये गये अंकों का औसत लिया जाएगा।

5 यदि मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अंकों तथा दोनों विषय विशेषज्ञों द्वारा दिये गए अंकों के औसत का अन्तर प्रश्नपत्र के पूर्णांक के 15 प्रतिशत तक पाया जाएगा तो मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अंकों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा की गयी चुनौती को अमान्य करते हये जमा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

6 यदि मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अंकों तथा दोनों चुनौती मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों के औसत का अन्तर प्रश्नपत्र के अधिकतम पूर्णांक के 15 प्रतिशत से अधिक एवं 25 प्रतिशत तक पाया जाएगा तो मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अंकों को दोनों विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए अंकों के औसत अंक से बदल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में छात्र द्वारा चुनौती मूल्यांकन हेतु जमा शुल्क से रू0 500/- की कटौती कर शेष राशि उसे वापस कर दी जाएगी।

7 यदि मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अंकों तथा दोनों चुनौती मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों के औसत का अन्तर प्रश्नपत्र के पूर्णांक के 25 प्रतिशत से अधिक पाया जाएगा तो ऐसी उत्तर पुस्तिका को माननीय कुलपति जी द्वारा नामित तृतीय चुनौती मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकित कराया जा सकता है। मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अंकों को तीनों विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए अंकों के औसत से बदल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा चुनौती मूल्यांकन हेतु जमा शुल्क से रू0 500/- की कटौती कर शेष राशि उसे वापस कर दी जाएगी तथा मूल मूल्यांकनकर्ता के खिलाफ विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। यदि किसी मूल्यांकनकर्ता द्वारा एक से अधिक बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में उपरोक्तानुसार त्रुटि की जाती है तो उसे समस्त परीक्षा कार्यो से वंचित किया जा सकता है।

8 चुनौती मूल्यांकन प्रक्रिया में यदि उपरोक्त बिन्दु 6 एवं 7 में वर्णित परिवर्तन आता है, तो छात्र के परीक्षाफल में संशोधन करते हुए सम्पूर्ण परीक्षाफल घोषित कर दिया जाएगा।